प्ले स्कूलों पर लगाम की तैयारी, बन रही है गाइडलाइन

दिल्ली पूनम पाण्डे , नवभारत टाइम्स | Jul 20, 2016,

मशरूम की तरह हर गली मोहल्ले में खुले 'प्ले स्कूल' को बाल आयोग गैरकानूनी मान रहा है। अब महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) प्ले स्कूलों के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। जिसके बाद हर प्ले स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और क्राइटीरिया में फिट न बैठने वाले प्ले स्कूलों को बंद करवाया जाएगा।

किसी कानून के तहत नहीं आते प्ले स्कूल एनसीपीआर के मेंबर प्रियंक कानूनगो ने कहा कि देश भर में हर गली मोहल्ले में प्ले स्कूल खुल गए हैं और पैरंट्स इसमें बच्चों को भेजने के लिए मोटी रकम भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी ये प्ले स्कूल किसी कानून के तहत नहीं आते। इसलिए यहां बच्चों की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। कोई भी एक कमरे में प्ले स्कूल खोल रहा है और वहां बच्चों की सुविधा का ख्याल भी नहीं रखा जाता। उन्होंने बताया कि इसलिए हमने अब प्ले स्कूल के लिए गाइडलाइन बनाने का काम शुरू किया है। जिसके बाद हर प्ले स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। एक सख्त गाइडलाइन बनने से बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।

क्रेच के तहत आ सकते हैं प्ले स्कूल कानूनगो ने कहा कि प्ले स्कूल आरटीई के तहत नहीं आते क्योंकि यह स्कूल की परिभाषा के दायरे में नहीं हैं। इसलिए अभी कोई भी कहीं भी प्ले स्कूल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां छोटे बच्चे होते हैं इसलिए ये प्ले स्कूल क्रेच के दायरे में आ सकते हैं। गाइडलाइन में प्ले स्कूल के लिए कंडीशन भी रखी जाएगी। मिनिमम जगह तय की जाएगी कि कम से कम उतना स्पेस होने पर ही प्ले स्कूल खोला जा सकता है। साथ ही स्टाफ की संख्या भी तय होगी कि एक स्टाफ कितने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकता है। प्ले स्कूल में बच्चों की जरूरत और सुरक्षा के भी सारे इंतजाम करने होंगे।

गाइडलाइन बनने के बाद देश भर के प्ले स्कूलों को इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एनसीपीसीआर मेंबर ने कहा कि इससे प्ले स्कूल कानून के दायरे में आएंगे और उनकी लगातार मॉनिटरिंग हो पाएगी। उन्होंने कहा कि अभी कई बड़े संस्थाओं ने प्ले स्कूल के नाम पर दुकान शुरू कर दी है पैरंट्स पर इस बात का दबाव डाला जाता है कि उनके प्ले स्कूल में एडमिशन होने पर ही बाद में बच्चे को नर्सरी में दाखिला दिया जाएगा। लेकिन ये प्ले स्कूल भी कानून के तहत नहीं है इसलिए गाइडलाइन बनने के बाद इन सबको नियमों का पालन करना होगा।